महत्वपूर्ण एवं खास

एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। एम्स अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा युवती से 5 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया रचना मिश्रा हल्दीबाड़ी चिरमिरी की रहने वाली है। प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी दामोदर प्रधान और मनीषा वर्मा ने प्रार्थिया को एम्स अस्पताल रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख की मांग किए। जिससे प्रार्थिया उन दोनों के झांसे में आ गए और 5 लाख रुपए दे दिए। जब नौकरी नहीं लगवा पाए तो युवती ने पैसा ने अपने पैसे वापस मांगे। जब आरोपियों ने पैसा वापस नहीं किए तो उन्होंने इसकी शिकायत की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

50 लीटर डीजल के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई पुलिस ने गोंदवारा कबाड़ी दुकान के पास अवैध रूप से 50 लीटर डीजल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोंदवारा कबाड़ी दुकान के पास दबिश देकर आरोपी क्यूम अहमद 49 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से नीले जरकीन में रखे 50 लीटर डीजल जब्त किया है। जिसकी कीमत हजारों रुपये की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कर्रवाई जारी रहेगी और लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें।

कार की टक्कर से बाइक सवार महिला व मासूम बच्चे की मौत

रायपुर (आरएनएस)। तरपोंगी नेशनल हाइवे 30 पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार महिला और उसकी मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामले में धरसींवा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गिरोला निवासी तिलकराम अपनी पत्नी विजेता साहू 26 वर्ष और अपने 3 माह के पुत्र हिमांशु को बाइक क्रमांक सीजी 04 बीडी 7012 से लेकर अपने ससुराल जा रहा था। तभी नेशनल हाइवे 30 स्थित तरपोंगी के पास कार क्रमांक सीजी 04 एमसी 6260 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे विजेता और उसकी मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामले में धरसींवा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

खेत में लगे केबल वायर पार

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम तोरला नवापारा में खेत लगे सोलर पंप का केबल वायर अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जिया कुरैशी 56 वर्ष श्याम नगर तेलीबांधा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि उसका ग्राम तोरला नवापारा में खेत है। जहां लगे सोलर पंप का केबल वायर को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए केबल की कीमत करीब 4500 रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अवैध पटाखा के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। मंदिरहसौद पुलिस ने ग्राम परसदा में एक युवक के पास से प्लास्टिक बोरी में रखे एटम बम और पटाका बनाने की सामाग्री जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम परसदा के पास आरोपी ताराचंद जांगड़े 40 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बोरी में रखे 30 पैकेट एटम बम एवं पटाका बनाने सोस, सल्फर का मिश्रित पावडर व लाल कलर का बत्ती व अन्य सामाग्री जब्त किया है।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक दवाओं का रहे पर्याप्त भण्डारण

- उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सुदूर वनांचल क्षेत्र चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल के शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन डीएमएफ से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिए
- उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम सोनवाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाएं गए अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण, उपचार कराने आएं मरीजों से की चर्चा
- सोनवाही गांव में पांच ग्रामीणों की मौत अलग-अलग कारणों से हुई है घटना : कलेक्टर

रायपुर | आरएनएस

संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य महकमा और संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, जनजनित बीमारी सहित मौसमी बीमारियों की जानकारी मिलने पर त्वरित रूप से स्वास्थ्य अमला स्वास्थ्य शिविर लगाकर प्रभावितों का उपचार करना सुनिश्चित करें। साय ने निर्देश दिए है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कर सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक दवाओं के साथ त्वरित रूप से रवाना कर उपचार सुनिश्चित करे, जिससे संभावित जनहानि को बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा गत दिवस कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल, सोनवाही का भ्रमण कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने ग्राम सोनवाही पहुंचकर ग्रामीणों सहित डायरिया पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और राज्य शासन से हर संभव दिलाने के लिए भरोसा दिलाया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम सोनवाही में गत दिवस हुई दो ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने ग्राम सोनवाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाएं गए अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वनांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में मौसमी बीमारी, डायरिया, उल्टी दस्त और जलजनित बीमारियों का संक्रमण ना हो इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कलेक्टर को वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने और और मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सुदूर वनांचल क्षेत्र चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल के शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन डीएमफ़ से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल के सभी गांवो में स्वास्थ्य शिविर, जल स्त्रोतो का क्लोनिएशन कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि बोड़ला एसडीएम और सीएमएचओ को घर-घर पहुंच कर सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे। सोनवाही में पांच ग्रामीणों की मौत अलग-अलग कारणों से और अलग-अलग जगह में हुई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल राज ने बताया कि सोनवाही में डायरिया की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला के चिकित्सक और स्वास्थ्य अमला 10 जुलाई को पहुंचकर गांव के आदिवासी बालक आश्रम छात्रावास में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण का काम शुरू किया गया। दूसरे दिन 11 जुलाई को कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तर और चिल्फी के और अतिरिक्त स्वास्थ्य टीम को भेजकर ग्राम सोनवाही में तैनात किया गया।

सीएमएचओ डॉ राज ने बताया कि सोनसिंह अपने खेत से काम कर घर लौटा था, उन्होने अपने तबियत खराब होने की जानकारी अपने घर वालो को दी। इसके बाद उन्होने उल्टियां शुरू हुई और तीन से चार घंटे के दौरान उनकी घर पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक इसी प्रकार महिला फूलबाई की मृत्यु भी उल्टी से हुई। दो ग्रामीणों की अकास्मिक मृत्यु के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की गई। जांच और पूछताछ के प्रथम दृष्टयता जहरीले मशरूम खाने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट हो जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उपचार कराने आए मरीजों से चर्चा की। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि ग्राम सोनवाही में 194 घर है, जिसकी कुल आबादी 580 है। इस गांव में 12 कुंआ और 02 हैंडपंप है। एक मितानिन भी कार्यरत है। उन्होंने बताया कि बीमारी के लक्षण मिलने पर गांव में लोगों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। 11 जुलाई को 194 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसमें 08 लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किया गया, इनमें 07 लोगों को मौसमी बुखार के लक्षण और 01 को उल्टी हो रही थी। इसी प्रकार 12 जुलाई को 144 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 12 को मौसमी, सर्दी बुखार के लक्षण पाएं गए है, जिनकों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला में भर्ती कराया गया है।

खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

- बीमा कराने से प्रतिकूल मौसम में मिलती है आर्थिक सुरक्षा

रायपुर | आरएनएस

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित फसलों, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर / तुअर, रागी एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की छायाप्रति, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, खसरा) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट , आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ-साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रुपए तथा असिंचित फसल के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रुपए निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार मूंगफली की बीमा राशि 42 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपए, कोदो की बीमा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 320 रुपए, कुटकी की बीमा राशि 17 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 340 रु. ,मक्का की बीमा राशि 36 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 720 रुपए,अरहर की बीमा राशि 35 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 700 रुपए, रागी की बीमा राशि 15 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 300 रुपए तथा सोयाबीन की बीमा राशि 41 हजार और प्रीमियम 820 रुपए निर्धारित की गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

एक लाख के पांच माओवादी चढ़े पुलिस के हत्थे

बीजापुर-रायपुर | आरएनएस

सुरक्षाबलों की संयुक्त कार्रवाई में गंगालूर क्षेत्र के मेटापाल से एक लाख के ईनामी सहित पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली हत्या, हत्या का प्रयास, आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान डीआरजी व गंगालुर थाना की संयुक्त पार्टी मेटापाल व पुसनार की ओर अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान मेटापाल के जंगलों से एक लाख रुपये का ईनामी आरपीसी पुसनार अंतर्गत जनताना सरकार अध्यक्ष साई मंगू उर्फ मंगू कुंजाम निवासी मेटापाल, कटेकल्याण एरिया कमेटी छात्रसंघ अध्यक्ष महेश कुरसम उर्फ मनकू निवासी पटेलपारा सावनार, पुसनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर लालू पोटाम उर्फ श्यामलाल निवासी मेटापाल, पुसनार आरपीसी सेक्सन मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर फुल्ली पुनेम उर्फ सेप्पी निवासी मेटापाल तथा मेटापाल भूमकाल मिलिशिया सदस्य धन्नू पुनेम उर्फ बुईया निवासी नयापारा मेटापाल शामिल हैं। पकड़े गए नक्सली 5 मार्च 2022 को गंगालुर थाना क्षेत्र के पुसनार व टेकामेटा के जंगल में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थे।

सिविल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा एमओएम कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई

- डीसीए कोर्स के समकक्ष है एमओएम कोर्स

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्यारहवीं बैच हेतु सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट के डिग्री या डिप्लोमाधारी 55 प्रशिक्षुओं के चयन हेतु आवेदकों से 01 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में 15 जुलाई 2024 की रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु इच्छुक आवेदकों का नैट्स डॉट एजुकेशन डॉट जीओवी डॉट इन (nats. education. gov.in) (nats 2.0) वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें एमओएम कोर्स, लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के भर्ती के लिए आवश्यक कोर्स डीसीए के समकक्ष है, इसे भी भर्ती में योग्य माना जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पीएचईडी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन (phed.cg.gov.in) में देखा जा सकता हैं। शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथा संशोधित) के तहत पीएचई डिपार्ट यह प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

आबकारी टीम बिलाईगढ़ ने 8.040किलोग्राम गांजा पकड़ा

- गांजा के तस्करी के दौरान उपयोग में लाए बाइक जप्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़

आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता और कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में गत दिवस हरिशंकर साहू पिता रामकृपाल और वाकेश्वर वर्मा पिता शोभित, दोनो निवासी ग्राम मल्दी थाना बिलाईगढ़ को मादक पदार्थ गांजा के अवैध तस्करी करते पकड़ा गया। गांजा के तस्करी के दौरान उपयोग में लाए बाइक को जप्त किया गया।

मुखबिर से मिली सूचना की आबकारी विभाग वृत्त बिलाईगढ़ को सूचना जांच में पुष्टि होने के पश्चात मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी को फोन पर इस संबंध में सूचित करते हुए गवाहों को नोटिस देकर आबकारी टीम के साथ बताए गए स्थान पर तत्काल उपस्थित हुए। मल्दी रामपुर मार्ग में एक संदिग्ध दो पहिया वाहन आता दिखा हमारे वाहन को आता देख वाहन चालक द्वारा वाहन को मोड़कर वापस भागने का प्रयास किया जिसे दौड़ा कर रुकवाया गया एवं गवाहों के समक्ष दोनों संदेहियों से पूछताछ की गई तथा इनके पास में काले रंग के बैग की विधिवत रूप से तलाशी ली गई तलाशी में बैग से कुल 08 नग झिल्ली में अच्छी तरह से भरा पत्ती नुमा बीज युक्त पदार्थ को बरामद किया गया बरामद मादक पदार्थ का मौके पर ही प्राथमिक रूप से जांच करने पर गांजा होना पाया गया। स्थानीय तौलक के माध्यम से गांजे का तौल करवाया गया जिसका कुल वजन 8.040 किलोग्राम का होना पाया गया है। बरामद गांजा को समरस किया गया एवं समस्त मात्रा को 02 नग कपड़े के थैले में भागकर उसे सीलबंद कर विधिवत कब्जा आबकारी लिया गया है। आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20(B) के उल्लंघल करने के आरोप में मौके से गिरफ्तार कर उन्हें विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस अधिनियम रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया।

नियम कानून का पालन नहीं करने वाले प्रायवेट स्कूलों की मान्यता रद्द होगी : कलेक्टर धर्मेश साहू

- एक ही दुकान से ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते प्रायवेट स्कूल
- आरटीई के तहत दाखिल बच्चे यदि प्रायवेट स्कूल को छोड़ रहे तो उसके कारण की जांच होगी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर धर्मेश साहू ने अधिकारियों को कहा कि यह पता करें कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले के प्रायवेट स्कूलों में पढ़ रहे कितने बच्चों ने उस स्कूल से छुड़वाकर दूसरे स्कूल में दाखिला लिया है। उस प्रायवेट स्कूल को छोड़ने का कारण क्या है। यदि बच्चे और उसके पालक ने निजी कारणवश उस स्कूल से बेहतर सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला लिया है तो ठीक है।

कलेक्टर ने जिले के प्रायवेट स्कूलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी प्रायवेट स्कूल फीस का निर्धारण नियम अनुसार करेंगे। साथ ही किसी एक दुकान से ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि प्रायवेट स्कूल आरटीई के तहत दाखिल बच्चों के साथ लापरवाही करते। बच्चे को शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान करते हैं तो इन सभी परिस्थितियों की जांच में किसी निजी स्कूल द्वारा ऐसा किया जाना पाया जाता है तो उस स्कूल के विरुद्ध मान्यता रद्द करने की कार्यवाही किया जाएगा। बैठक में परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी वर्षा बंसल, बीईओ नरेश जांगड़े, रेशम लाल कोसले और सत्यनारायण साहू सहित सेजेस के नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य नरेश चौहान, समग्र शिक्षा के जिला नोडल अधिकारी शोभाराम पटेल, एबीईओ मुकेश कुर्रे, शिक्षक एस आर अजय सहित जिले के अन्य अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षक उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

नेशनल लोक अदालत ने 8.31 लाख से ज्यादा प्रकरण हुए निराकृत

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ राज्य में द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर के न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में 13 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु गठित कुल 605 खंडपीठों द्वारा प्रेषित अंतिम आंकड़ो में 7 लाख 66 हजार 639 प्री- लिटिगेशन प्रकरण तथा 65 हजार 139 लंबित मामलों को मिलाकर कुल 8 लाख 31 हजार 848 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 230 करोड़ 09 लाख 55 हजार 219 रूपये के अवार्ड पारित किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह- मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 23 जिला एवं सत्र न्यायालयों से वर्चुअल मोड के माध्यम जुडक़र लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों व अन्य खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद व चर्चा की गई और लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित करें।

वर्चुअल मोड में निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधिपति ने जिला न्यायलय रायगढ़ के एक प्रकरण में जहां एक उम्रदराज पति-पत्नी के मध्य घरेलु हिंसा का विवाद था और वे अलग अलग रह रहे थे और लोक अदालत के दौरान उनका समझौता हुआ और वे एक साथ रहने के लिये तैयार हो गये। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पक्षकारों के प्रयासों की सराहना की गई और दम्पत्ति को भविष्य के खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई।

मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में गठित दो खण्डपीठों का भी अवलोकन किया गया और लोक अदालत कार्यवाहियों का जायजा लेते हुए अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराये जाने की बात कही।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधिपति की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में पहली बार माननीय उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगणों द्वारा भी अपने पोर्टफोलियो जिलों में भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गणों के द्वारा नेशनल लोक अदालत के दिन अपने पोर्टफोलियो जिले में उपस्थित रहना लोक अदालत व्यवस्था की विश्वसनीयता को पारदर्शी व विश्वसनीय बनायेगा और इसे एक नई उंचाई प्रदान करने वाला सिद्ध होगा।